छत्तीसगढ़ राज्य की पाठ्यचर्या की रूपरेखा

2013

आधार-पत्र

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़, रायपुर

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
छत्तीसगढ़, रायपुर

विजन – 2017

राज्य के सभी बच्चों का गुणवत्तायुक्त शिक्षा के माध्यम से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास करना। राज्य के सभी विद्यालयों एवं सहयोगी संस्थानों को अपने क्षेत्र की शैक्षिक समस्याओं का हल करने हेतु सक्षम बनाना। राज्य के सभी शिक्षक/प्रशिक्षकों को कर्त्तव्यनिष्ठ, स्वप्रेरित, दूसरों को प्रेरित करने योग्य तथा बच्चों के प्रति संवेदनशील बनाना। शिक्षक/प्रशिक्षकों को व्यावहारिक समझ के साथ विषय–वस्तु के आनंददायी व प्रभावी प्रस्तुतीकरणों में समर्थ बनाना। शैक्षिक दायित्व के निर्वहन में शाला, शिक्षक एवं समुदाय में समन्वय स्थापित करना, जिससे विद्यालय एक सामुदायिक केन्द्र के रूप में विकसित हो।

प्राक्कथन

राज्य की पाठ्यचर्या की रूपरेखा – 2007 का विकास प्रदेशव्यापी सार्थक संवाद से हुआ। विभिन्न संवर्गो से विभिन्न स्थानों पर बातचीत की गई। विद्यार्थियों, अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों, पत्रकारों, शिक्षकों, और शिक्षक प्रशिक्षार्थियों के सुझावों से इसे आकार मिला।

राज्य की पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2007 के केन्द्र में प्रदेश की शैक्षिक चुनौतियाँ, आवश्यकताएं, संभावनाएं रहीं। यहाँ विविध लोक सांस्कृतियाँ अपनी–अपनी विशिष्टताओं के साथ विद्यमान हैं। बच्चों में इनके प्रति प्रतिबद्धता विकसित की गयी है। जिससे वे तेजी से बदलते विश्व में अपनी सांस्कृतिक विविधता को पूरी विशिष्टता के साथ संजोये रखें और निरन्तर उन्नति करें। इस कार्य में उन तमाम संस्थाओं का और सदस्यों का सहयोग मिला जो NCF- 2005 के निर्माण कार्य से जुड़े थे जैसे – एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्लीए विद्या भवन सोसायटी राजस्थान, एकलव्य भोपाल, दिगन्तर राजस्थान आदि।

किसी भी व्यवस्था की निरन्तरता के लिए आवश्यक है कि उसमें सतत् परिवर्तन होते रहें, शिक्षा व्यवस्था को भी समय सापेक्ष एवं प्रासांगिक रखने के लिए आवश्यक है कि इसमें सार्थक बदलाव होते रहें। यही विकास की पृष्ठभूमि है। इसी आधार पर छ.ग. राज्य अपनी पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2007 में आवश्यक परिवर्तन करना चाहता है। परिवर्तन के सन्दर्भ शैक्षिक परिदृश्य में आने वाले बदलाव, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अथवा अन्य कई मुद्दे हैं। राज्य की पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2007 के नवीनीकरण के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों, विभागों, शिक्षाविदों से सुझाव आमंत्रित किये जाने के साथ–साथ राज्य व राष्ट्रीय कार्यशालाओं, सेमीनारों का आयोजन किया गया। इन सभी कार्यो में छ.ग. राज्य स्थायी शिक्षा समिति के सदस्यों का निरन्तर मार्गदर्शन रहा। समुदाय के विभिन्न संवर्गो जैसे–अभिभावकों, शिक्षकों, विद्यार्थियों से पाठ्यचर्या विकास के संदर्भ में संवाद स्थापित कर सुझाव प्राप्त किये गये। इस कार्य में हमारे प्रमुख मार्गदर्शक रहे हैं –

1. श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, पूर्व मंत्री, स्कूल शिक्षा, लोक निर्माण विभाग, संसदीय कार्य,पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, छत्तीसगढ़, रायपुर।
2. डॉ. शिवकुमार पाण्डेय, कुलपति, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, छत्तीसगढ़।
3. डॉ. सच्चिदानंद जोशी जी, कुलपति, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय, काठाडीह रायपुर, छत्तीसगढ़।

4. प्रो. सत्यनारायण अग्रवाल जी, पूर्व अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, रायपुर, छत्तीसगढ़।

5. प्रो. संतोष शर्मा, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली।

6. डॉ. पवन सुधीर, प्रो. एवं विभागाध्यक्ष कला एवं सौन्दर्य बोध शिक्षा विभाग एन.सी.ई. आर.टी. नई दिल्ली।

7. डॉ. रंजना अरोरा, आर.एम.एस.ए. प्रोजेक्ट सेल एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली।

8. डॉ. गौरी श्रीवास्तव जी, महिला अध्ययन विभाग, एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली।

9. डॉ. ए. सुकुमार, प्राचार्य, उत्तर पूर्व क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान उमियाम, शिलांग, मेघालय।

10. प्रो. एस.के. सेनापाटी, प्राचार्य, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल।

11. डॉ. एस.के. गुप्ता, प्रो. एवं विभागाध्यक्ष, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल।

इस सफर में ICICI Foundation For Inclusive Growth का निरन्तर सहयोग रहा।

राज्य की पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2013 के आधार पत्र में संविधान, राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986, शिक्षा बिना बोझ के 1993, NCF-2005, NCF TE – 2009, RTE-2009 की भावनाओं, राज्य की शैक्षिक आवश्यकताओं, चुनौतियाँ संभावनाओं को समाहित किया गया है। जो ''शिक्षा सभी के लिए'' को केन्द्र में रखकर एक स्थानीय व्यवस्था की अनुशंसा करता है और सीखने–सिखाने की प्रक्रिया की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रयासरत है।

राज्य की पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2013 का आधार–पत्र आपको सौंप रहे हैं। आप अपने अभिमत एवं सुझाव हमें लिख भेजें। हमें आपके सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी। ये सुझाव राज्य के पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2013 के विस्तार में सहायक होंगे।

(अनिल राय)
संचालक
एस.सी.ई.आर.टी., छ.ग. रायपुर

<u>राज्य की पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2013 – आधार पत्र</u>

1. विषय प्रवेश –

किसी भी व्यवस्था की निरंतरता एवं विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसमें समयानुकूल नित नये परिवर्तन समाहित किए जाएं। ये परिवर्तन इतिहास की समझ, वर्तमान की माँग तथा भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप हो सकते हैं। शिक्षा व्यवस्था को भी समय सापेक्ष एवं प्रासंगिक बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि इसमें अपेक्षित परिवर्तन किए जाते रहें। यही विकास की प्रकृति है और इसी आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य की पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2007 में आवश्यक परिवर्तन अपेक्षित है।

परिवर्तन के संदर्भ शैक्षिक परिदृश्य में आने वाले बदलाव, शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009, बाल अधिकार संरक्षण, मानव अधिकार एवं राज्य के अन्य कई मुद्दे हो सकते हैं,जिन्हें संबोधित कर हम आत्मविश्वास से परिपूर्ण एक आत्मनिर्भर एवं स्वाभिमान से ओत–प्रोत पीढ़ी के निर्माण में सक्षम होंगे।

राज्य की पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2007 का प्रारूप बच्चों के ज्ञान–सृजन की क्षमता को केन्द्र में रखकर तैयार किया गया है। राज्य की पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2007 में ऐसे मूल्यों को समाहित किया गया है जिन्हें संविधान में प्रमुखता दी गयी है; जैसे – स्वतंत्रता, समता, न्याय, पंथनिरपेक्षता, पर्यावरण संरक्षण आदि।

छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न अंचलों की विविध लोक संस्कृतियाँ यहाँ अपनी–अपनी विशिष्टताओं के साथ परिपोषित, पुष्पित एवं संवर्धित हैं। बच्चों में इन्हें जानने, सीखने व आत्मसात करने के प्रति जिज्ञासा, प्रतिबद्धता विकसित की गयी है। पाठ्यचर्या में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि बच्चे एक ही कौशल के आधार पर जीवन जीने की परंपरा को तोड़ते हुए नित नए कौशल सीखें, आत्मविश्वास से भरपूर हों तथा निरंतर आगे बढ़ने का साहस जागृत करें।

2. छत्तीसगढ़ राज्य – एक दृष्टि में

छत्तीसगढ़ राज्य दिनाँक 01 नवम्बर 2000 को अस्तित्व में आया है। जनगणना 2011 के अनुसार इसकी कुल जनसंख्या 2.55 करोड़ है।

कुल साक्षरता दर	**– 71.04 प्रतिशत**
पुरुष साक्षरता दर	**– 81.45 प्रतिशत**
महिला साक्षरता दर	**– 60.59प्रतिशत**
अनुसूचित जनजाति	**– 32 प्रतिशत**
अनुसूचित जाति	**– 12.0 प्रतिशत**

जनगणना 2011 के अनुसार देश में साक्षरता दर 74.04 प्रतिशत है जबकि राज्य की साक्षरता दर 71.04 प्रतिशत है। विगत जनगणना में यह 64.66 प्रतिशत दर्ज की गई थी। साक्षरता के संदर्भ में राज्य का देश में 27 वाँ स्थान है। राज्य में 81.45 प्रतिशत पुरूष तथा 60.59 प्रतिशत महिला साक्षरता दर है। राज्य में महिला साक्षरता की वृद्धि दर 8.74%, पुरूष साक्षरता की वृद्धि दर 4.07% से अधिक दर्ज की गई है। जिला दुर्ग साक्षरता दर 79.69% राज्य का सर्वाधिक साक्षर जिला है। साक्षरता के क्रम में दूसरा स्थान धमतरी 78.95% एवं तीसरा स्थान राजनांदगांव 76.97% का है जबकि सबसे कम साक्षरता बीजापुर 41.58% में है।

भारत, छत्तीसगढ़ एवं जिलेवार साक्षरता दर – 2011

देश / राज्य / जिला	साक्षरता दर		
	व्यक्ति	पुरूष	स्त्री
1	2	3	4
भारत	74.04	82.14	65.46
छत्तीसगढ़	71.04	81.45	60.59
कोरिया	71.41	81.52	61.01
सरगुजा	61.16	71.23	50.88
जशपुर	68.60	78.24	59.05
रायगढ़	73.70	84.17	63.25
कोरबा	73.22	83.88	62.26
जांजगीर–चांपा	73.70	85.59	61.72
बिलासपुर	71.59	82.77	60.12
कबीरधाम	61.95	74.99	48.94
राजनांदगांव	76.97	87.19	66.98
दुर्ग	79.69	88.80	70.51
रायपुर	76.43	86.50	66.21
महासमुंद	71.54	83.01	60.37
धमतरी	78.95	88.84	69.24
उत्तर बस्तर कांकेर	70.97	80.98	61.08
बस्तर	54.94	65.70	44.49
नारायणपुर	49.59	58.97	40.22
दक्षिण बस्तर दंतेवाडा	42.67	52.69	32.88
बीजापुर	41.58	51.42	31.56

स्त्रोत – भारत की जनगणना–2011 जनसंख्या के अंतिम आँकड़े 2011 का पेपर 1 छत्तीसगढ़ श्रृंखला 23, निदेशक, जनसंख्या कार्य छत्तीसगढ़।

रु साक्षरता दर : 7 वर्ष और उससे अधिक आयु की जनसंख्या में साक्षरों का प्रतिशत है।

यहाँ की संस्कृति में अद्‌भुत रूप से विविधतायें समाहित हैं। लोक–कलाओं, लोक–कथाओं, लोक–साहित्य और लोक–गीतों में इसकी छाप देखी जा सकती है। यहाँ की संस्कृति में परम्परागत् मान्यताओं व रीति–रिवाजों का भी विशेष महत्व है। यहाँ धातुकला, वास्तुकला, मूर्तिकला, काष्ठकला, बाँस व मिट्‌टी से कलात्मक वस्तुओं के निर्माण की विशेष लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध कलाएँ हैं। यहाँ के लोक नृत्य व लोक गायन की देश ही नहीं विदेशों में भी सराहना होती है। इन्हें भी पाठ्‌यचर्या में स्थान देने की आवश्यकता है।

3. पाठ्‌यचर्या की चुनौतियाँ व प्रयास

पाठ्‌यचर्या हमें एक ऐसी शैक्षिक व्यवस्था की ओर मोड़ती है जो समानता के अवसर उपलब्ध कराती है और उत्कृष्टताओं एवं राष्ट्रीय विकास की समग्र भावना को प्रोत्साहित करती है। पाठ्‌यचर्या के कुछ प्रमुख सरोकार हैं –

प्रत्येक बच्चे में अपनी क्षमताएँ और कौशल होते हैं, जिन्हें स्कूली परिवेश में मान्यता देनी होगी। पाठ्‌यचर्या को यथा–संभव बच्चे की समस्त योग्यताओं, प्रतिभाओं, क्षमताओं तथा कौशलों को प्रोत्साहन और पोषण के विविध अवसर रचने होंगे।

- ज्ञानार्जन के विविध तरीके हैं। पाठ्‌यचर्या इन्हें समाहित करे। यह जरूरी है कि पढ़ाई उपयुक्त व बच्चों के लिए अनुकूल वातावरण में हो और इस दौरान निवेशित समय की सार्थकता प्रमाणित करने में सक्षम हो। यह भी आवश्यक है कि इस तरह का वातावरण बनाने में बच्चों की भी सक्रिय भागीदारी ली जाये।
- शिक्षा बच्चे के मन में ऐसे लोगों के प्रति घनिष्ठता को प्रोत्साहित करे जो जमीनी उपलब्धियों से सीधे जुड़े हैं और हमारी राष्ट्रीय विरासत के बहुमूल्य अंश हैं।
- शिक्षण की सार्थकता अधिगम पर निर्भर करती है इसलिए सिखाने के तरीके ऐसे हों जो बच्चों को सहज और स्वाभाविक लगें, वह रूचि लेकर अपने एवं शिक्षकों के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे अनुभवों के मध्य सम्बन्ध बना सके। यह बच्चों और शिक्षक दोनों में आत्म विश्वास उत्पन्न करेगा कि "प्रत्येक बच्चा सीख सकता है एवं प्रत्येक शिक्षक सिखा सकता है।
- बुद्धि के विविध आयाम हैं। शिक्षण (शास्त्र) एवं मूल्यांकन ऐसे हों जो यह सुनिश्चित कर सकें कि ये आयाम बच्चे की अर्न्तनिहित क्षमता एवं रूचि के साथ तालमेल बैठाते हुए पूर्णरूपेण निखरें।
- मूल्यांकन में इस बात पर जोर हो कि जो सिखाया गया है उसके प्रति बच्चा कितना जवाबदेह है। इस बात का मूल्यांकन न हो कि उसने कितना याद रखा। इस

जवाबदेही में कई बातें शामिल होंगी। मसलन उसे जो पढ़ाया गया है, उसे अपने जीवन, अनुभव से जोड़ने की योग्यता, सीखी गयी चीजों के बारे में नए सवाल खड़े करने की समझ, तार्किक क्षमता, सही और गलत में अंतर देख पाने की क्षमता आदि।

- शिक्षा के अधिकार से हम पर यह जिम्मेदारी आ गयी है कि हम सारे बच्चों को जाति, धर्म, लिंग और अन्य विभेदकारी चुनौतियों से निरपेक्ष रहते हुए स्वस्थ, पोषक और समावेशी स्कूली माहौल मुहैया कराएँ जो उनको शिक्षा ग्रहण करने में मदद करे तथा उन्हें सशक्त बनाएँ। समाज में तीव्रगति से जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको जाँच–परख कर स्वीकार या अस्वीकार करने की क्षमता बच्चों में विकसित करें।
- बच्चा ज्ञान का सृजन करने में सक्षम हो इसके लिए आवश्यक है कि पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकें इस बात के लिए शिक्षक को सक्षम बनाएँ कि वे बच्चों की प्रकृति और वातावरण के अनुरूप अनुभव प्राप्त करने की परिस्थितियां उत्पन्न कर सकें ताकि सारे बच्चों को सीखने के एवं उनके ज्ञान को सृजित करने के समुचित व अनुकूल अवसर एवं प्रोत्साहन मिल सके।
- पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक व शिक्षण ऐसे हों जो बच्चों को उनकी क्षमताओं का विस्तार करने के विविध अवसर प्रदान करें।
- सभी बच्चों को स्कूल से जोड़ना, उन्हें स्कूल में बनाए रखना, निरन्तर आगे बढ़ाना तथा हर बच्चे को उसकी गरिमा का अहसास कराना एवं उनमें सीखने का विश्वास जगाना महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमारी कक्षाओं की बैठक व्यवस्था कक्षा अभ्यास सदैव सहभागिता आधारित लोकतंत्र को मजबूत करने वाले हों।
- ''गाँव और स्कूल साथ–साथ'' की अवधारणा से सभी परिचित हों और सीखने–सिखाने की प्रक्रिया में इसका उपयोग हो।
- पाठ्यचर्या को परंपरागत स्थानीय ज्ञान व तकनीकी ज्ञान को साथ लेकर चलना होगा।
- छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बहुल्य राज्य है। इसके 146 विकासखण्डों में से 85 विकासखंडों को आदिवासी विकासखंड का दर्जा प्राप्त है तथा शेष 61 विकासखंड सामान्य विकासखंड है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी जनसंख्या का अनुपात संपूर्ण भारत की तुलना में 4 गुणा अधिक है। पाठ्यचर्या को इनकी विशिष्ट भाषा, बोली और संस्कृति को आत्मीयता के साथ लेते हुए आगे बढ़ना होगा।
- छत्तीसगढ़ में विविधताएँ अधिक हैं। पाठ्यचर्या का मूल सिद्धांत बच्चों को ''ज्ञात से अज्ञात की ओर'' ले जाने को विविधताओं के बीच लागू करना कठिन चुनौती है। यह

एक सर्वमान्य तथ्य है कि स्थानीय समुदाय की गतिविधियाँ, आदतें, शब्दकोष, विचार बच्चों के सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यदि पाठ्यचर्या इन सभी से दूर हुई तो शैक्षिक प्रगति सही गति नहीं पकड़ पाएगी। बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि कम होगी, उनकी रुचि घटेगी। आवश्यक है कि उपयोगी सकारात्मक वातावरण बनाने की दिशा में विद्यालय और समाज दोनों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी।

- सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक परिवेश एवं बच्चों की आयु के अनुकूल शिक्षण–शास्त्र, सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन, शिक्षकों का सबलीकरण, ज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं शारीरिक विकास, चुनौतीपूर्ण शोध व नवाचार पाठ्यचर्या के प्रमुख सरोकार हैं जिन पर प्रभावी ढंग से ध्यान देना जरूरी है।

4. शिक्षा का अधिकार–क्रियान्वयन और चुनौतियाँ

- **शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009** के अनुसार प्रारम्भिक स्तर की सभी शालाओं में निर्धारित संख्या में प्रशिक्षित शिक्षकों के माध्यम से गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। प्राथमिक स्तर व उच्च प्राथमिक स्तर पर (पर्याप्त संख्या में) मापदण्ड के अनुसार स्वीकृत सभी पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जानी होगी।
- इस अधिनियम में हर बच्चे को अपनी आयु के अनुसार समुचित कक्षा में प्रवेश तथा किसी कक्षा में नहीं रोकने का प्रावधान बनाया गया है। इस मंशा को क्रियान्वित करने के लिए कक्षा का स्वरूप बदलना होगा। समान आयु वर्ग के विभिन्न मानसिक योग्यता वाले बच्चों को एक कक्षा को पढ़ाना शिक्षक के लिए एक चुनौती होगी।
- बहुत बड़ी संख्या में अभी भी अप्रशिक्षित शिक्षक हमारी शालाओं में अध्यापन कार्य कर रहे हैं जिन्हें उपयुक्त पद्धति से प्रशिक्षित किया जाना होगा।
- विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों को समावेशी शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु शिक्षक प्रशिक्षण एवं आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था करनी होगी।
- शिक्षा के अधिकार में 6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ा जाना है। शिक्षा के अधिकार के अनुरूप सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति लागू की गयी है। इस पद्धति में बच्चों के सतत् विकास से जुड़े सभी पहलुओं का स्कूल आधारित मूल्यांकन किया जाना होगा।
- बच्चों को स्कूल में बनाए रखने के लिए स्कूल प्रशासकों और शिक्षकों को यह समझना होगा कि जब भिन्न सामाजिक – आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और भिन्न क्षमता स्तर वाले बच्चे एक साथ पढ़ते हैं तो कक्षा का वातावरण प्रत्येक बच्चे के लिए समृद्ध,

समावेशी और प्रेरक होना चाहिए। इनमें शिक्षा से वंचित पालकों के शाला आने वाले बच्चे जो प्रथम पीढ़ी के बच्चे कहलाते हैं, विशेष जरूरतों वाले और प्रतिभाशाली बच्चे एवं अन्य सभी बच्चे भी शामिल हैं। अतः शिक्षक को शिक्षण योजना बनाते समय सभी की भागीदारी पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यह उनके प्रभावी शिक्षक होने का सूचक बनेगा तथा लोकतांत्रिक शिक्षण के लिए इनकी एक विशेष भूमिका रहेगी।

5. शिक्षा के उद्देश्य

शिक्षा के उद्देश्य जीवन के उद्देश्य से भिन्न नहीं हो सकते। स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों में ''समस्त ज्ञान मनुष्य के अंतःकरण में निहित है, आवश्यकता है उसको जागृत या प्रस्फुटित करने के लिए उपयुक्त वातावरण निर्माण करने की''।

1. शिक्षा का उद्देश्य शिक्षार्थियों में उन आदतों, अभिवृत्तियों तथा चारित्रिक गुणों का विकास करना है, जो उन्हें लोकतांत्रिक समाज के जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित होने में सहयोग करें। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भागीदारी के साथ सामाजिक बदलाव में हिस्सा लेने का भाव विकसित करे ।
2. शिक्षा के द्वारा बच्चों में साहित्यिक, कलात्मक एवं सांस्कृतिक अभिरुचियों का विकास करना जो उनके व्यक्तित्व का विकास कर उन्हें आत्माभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करें।
3. प्राकृतिक व कलात्मक सौंदर्यबोध के साथ नवसृजन के गुणों का विकास करना है जिससे बच्चे समाज के लिए उपयोगी बन सकें।
4. शिक्षा के माध्यम से बच्चों में उद्यमशीलता, श्रम के प्रति सम्मान एवं श्रम की महत्ता की समझ विकसित करना। इसके लिए कार्य की शिक्षा का समावेश अति आवश्यक है।
5. प्राथमिक स्तर पर व्यक्तिगत स्वच्छता एवं परिवेश की स्वच्छता एक महत्वपूर्ण घटक होगा जिसके प्रति बच्चों में स्वस्थ और उचित आदतों का विकास करना होगा। ताकि बच्चे स्वयं की देखभाल, परिवेश की सफाई के साथ–साथ शौचालयों की सफाई के प्रति भी सजग हों।
6. शिक्षा द्वारा बच्चों में खोजी प्रवृत्ति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिज्ञासा, परिकल्पना, अवलोकन व प्रयोग द्वारा ज्ञानार्जन, समस्या समाधान आदि कौशल विकसित करना होगा।
7. प्रदेश में निहित सांस्कृतिक एवं गौरवशाली सामाजिक विविधताओं के प्रति बच्चों में संवेदनशीलता का विकास करना। बच्चों को अपनी विरासत से परिचित कराना जिससे वे उन पर गर्व कर सकें।

8. शिक्षा के द्वारा समाज में व्याप्त गरीबी, अंधविश्वास, जातिगत व लैंगिक असमानता, अन्याय की प्रवृत्ति आदि के कारणों को समझते हुए उनमें कमी करने का प्रयास करने की भावना का विकास करना।
9. शिक्षा के द्वारा पारस्परिक सद्‌भावना, भ्रातृत्व तथा विश्वबंधुत्व की भावना का विकास करना।
10. शिक्षा के द्वारा समयपालन, नियमितता, स्वच्छता, सत्य–अहिंसा व सहिष्णुता, न्यायप्रियता, जुझारूपन, सेवाभाव, सामूहिक कार्यों में सहभागिता अनुशासन आदि मूल्यों का विकास करना।
11. शिक्षा के द्वारा भारत के नवनिर्माण में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, समाज सुधारकों, वैज्ञानिकों, साहित्यकारों, उद्यमियों तथा कलाकारों आदि के योगदान, अंग्रेजी शासन तथा उससे पूर्वकाल के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों, क्रान्तिकारियों, वीरों के योगदान के प्रति और उनके मूल्यों के प्रति सजगता का विकास करना।
12. शिक्षार्थी में राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करने की भावना का विकास करना। ऐतिहासिक स्थलों व स्मारकों की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना।
13. शिक्षार्थियों को नवोदित छत्तीसगढ़ राज्य के विकास की संभावनाओं व आवश्यकताओं को खोजने, समस्याओं को पहचान कर उनका समाधान ढूँढने व उन्हें हल करने में सक्षम बनाना।

6. राज्य की पाठ्‌यचर्या विकसित करने के मार्गदर्शक सिद्धांत

पिछले कुछ वर्षों में राज्य में प्रारंभिक शिक्षा का प्रचार–प्रसार अत्यंत तेजी से हुआ है। शिक्षा की महत्ता को पहचाना गया है और जीवन–कौशल के रूप में इसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक माना गया है। अतः पाठ्‌यचर्या विकास के मार्गदर्शक सिद्धांत आवश्यक हैं–

- ज्ञान को स्कूल की चारदीवारी से मुक्त करना ताकि सीखे गए ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन में किया जा सके। कक्षा के ज्ञान को बच्चों के जीवन–अनुभव से जोड़ा जाए ताकि समाज के ऐसे बच्चे जिन्हें
- काम से जुड़े कौशलों का ज्ञान हो, वे इस ज्ञान को लेकर अपने आपको गौरवान्वित महसूस कर सकें।
- पढ़ाई को रटने से मुक्त करना। सीखने और रटने में अंतर को समझना

- पाठ्यचर्या बच्चों को चहुँमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराए, तदानुसार पाठ्यसामग्री हो।
- परीक्षा के मूल उद्‌देश्य को समझकर इसे लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना।
- प्रजातांत्रिक व्यवस्था के साथ–साथ बच्चों को राष्ट्रीय कर्त्तव्यों एवं चिंताओं के प्रति सजग बनाना।
- सभी बच्चों को स्कूल से जोड़ना। उन्हें अपनी गरिमा और महत्व का एहसास कराते हुए सीखने के लिए प्रेरणा व विश्वास जगाना।
- बच्चों में आत्मसम्मान व नैतिकता के विकास के साथ ही उनकी रचनात्मकता का पोषण करना। बच्चों की बुद्धि का आदर करना।
- पर्यावरण का संरक्षण एवं पोषण आज के समाज की महती आवश्यकता है, क्योंकि आधुनिक तकनीकीयुक्त उपभोक्तावादी जीवन–शैली से पर्यावरण असंतुलन में काफी वृद्धि हुई है। अतः पर्यावरण को शिक्षा के सभी स्तरों पर समाहित कर पर्यावरण संबंधी जागरूकता उत्पन्न करते हुए संसाधनों तथा ऊर्जा को व्यर्थ न करते हुए संयमित उपयोग के संस्कार जगाना।
- शिक्षा सार्थक तभी हो सकती है, जब वह बच्चों को इतना समर्थ बनाए कि वे शांति को जीवन–शैली के रूप में चुन सकें और विवादों को सुलझाने की क्षमता रखें। सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय अस्मिता को सुरक्षित एवं सुदृढ़ करने के लिए बच्चों को इतना सक्षम बनाना कि वे नयी प्राथमिकताओं व बदलते सामाजिक संदर्भों के अनुरूप अतीत का पुनर्मूल्यांकन व समीक्षा कर पाए और वे सांस्कृतिक विविधता के प्रति प्रतिबद्ध हो सकें।
- शिक्षा से बच्चों में आत्म–विश्वास का संचार करना ताकि वे अपने जीवन के निर्माता बनें। उनमें सतत् शिक्षा से जागृति, सामर्थ्य तथा ललक उत्पन्न हो।
- शिक्षा शरीर, मन, मस्तिष्क और जीवन के विकास पर जोर देती है। बच्चों को शारीरिक रूप से चुस्त बनाना, उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना तथा स्वयं केन्द्रित रहने के स्थान पर समाजोन्मुखी बनाना। अपने वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित करना। भोजन के चुनाव के बारे में भी बच्चों को सजग करना ताकि वे संतुलित एवं उत्तम भोजन ग्रहण करें। भूख के अनुसार खाएँ। इसके अतिरिक्त उनमें स्वास्थ्य संबंधी आदतों का विकास करना, स्वास्थ्यवर्धक उत्तम भोजन के चुनाव करने के बारे में भी

बच्चों को सजग करना होगा जिससे वे नशीले पदार्थों के सेवन व अन्य बुरी आदतों के कुप्रभाव को समझकर उनसे दूर रह सकें।

- प्राथमिक स्तर से ही बच्चों को खेलों और योग की ओर आकृष्ट करना।
- समाज के विभिन्न वर्गों के सभी बच्चों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध सीखने के अवसरों की समानता हो। यह शिक्षकों के लिए एक बड़ी चुनौती है जिसे उन्हें स्वीकार करना होगा।

बच्चों में नागरिकता का प्रशिक्षण औपचारिक शिक्षा का महत्वपूर्ण पहलू है जिससे हमारे सहभागिता आधारित लोकतंत्र एवं संविधान में निहित मूल्य सुदृढ़ होंगे। क्योंकि संवैधानिक मूल्यों का संवर्धन करना भी पाठ्यचर्या का उद्देश्य है।

7. बच्चे की प्रकृति

सीखने–सिखाने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चे की प्रकृति का ज्ञान। बच्चे के शारीरिक व मानसिक विकास के विभिन्न चरण हैं। 0–3 वर्ष की अवस्था व्यक्ति के विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवधि है। शोध बताते हैं कि मस्तिष्क का अधिकांश विकास (लगभग 85 प्रतिशत) आरंभिक वर्षों में होता है। इस अवस्था में संज्ञानात्मक विकास की गति तीव्र होती है। अतः उन्हें उचित, स्वस्थ व प्रेरक वातावरण की आवश्यकता होती है। बच्चे के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्यार पाने का अधिकार है, उपेक्षा भविष्य में नकारात्मक परिणाम दे सकती है। घर और विद्यालय में बच्चे की उचित देखभाल, संरक्षण, सही अवसर, पर्याप्त अनुभव मिलना आवश्यक है। अतः शिशु–शिक्षा एवं देखभाल ;म्ब्ब्म्द्ध को प्रभावी बनाना होगा।

विकास की पहली अवस्था शैशवावस्था में सामान्यतः बच्चा वस्तुओं को एक साथ रखकर उन्हें अलग करता है। वह अपनी ऊँगलियों, हाथों एवं शरीर के अन्य अंगों के माध्यम से क्रिया करना सीखने लगता है। अतः इस समय उसे अधिक से अधिक ऐसे अनुभव देने होंगे जिससे उसकी मांसपेशियों के विकास के साथ सीखने की प्रक्रिया भी हो।

दूसरी अवस्था, बाल्यावस्था में बच्चों की प्रतीकात्मक चिंतन की क्षमता धीरे–धीरे भाषा का सहारा लेती हुई विकसित होती है, किंतु अभी भी कार्य कारण संबंध को समझ पाने की क्षमता उतनी अधिक विकसित नहीं हो पाती है। इसलिए सीखने–सिखाने की क्रिया ठोस और सक्रिय होनी चाहिए तथा भाषा को भी महत्व दिया जाना होगा।

तीसरी अवस्था जो लगभग 12 वर्ष से आरंभ होती है। यहाँ बच्चे में स्वतंत्र मानसिक क्रियाओं अथवा अमूर्त चिंतन करने की शक्ति विकसित होती है। अब बच्चों को ऐसे अवसर देने होगे जो उनमें स्वतंत्र मानसिक क्रियाओं, अमूर्त चिंतन करने की क्षमता का विकास करें।

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे की स्वाभाविक उत्सुकता, अथक ऊर्जा, संवेदना, खेल, कला के प्रति रुझान का उपयोग सीखने–सिखाने की प्रक्रिया के लिए करना होगा। गतिविधियों द्वारा सिर्फ ज्ञानात्मक विकास ही नहीं, शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास भी किया जाना होगा। प्रकृति और अन्य साथियों के साथ परस्पर अंतः प्रक्रिया के अवसर दिए जाने होंगे। जिससे सीखने की संभावना अधिक बनें। प्राथमिक स्तर पर स्वस्थ आदतों के साथ मूल्यों के विकास पर भी जोर दिया जाना होगा। प्रारंभिक दौर से ही बच्चों में दूसरों की निःस्वार्थ मदद करना, मिल–जुलकर काम करना, सहानुभूति, दूसरों से सीखना, कृतज्ञता जैसे व्यक्तित्व संबंधी गुण एवं सामाजिक मूल्य विकसित किए जाने होंगे।

7.1 किशोरावस्था

उच्च प्राथमिक स्तर पर होने वाले शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक परिवर्तन शरीर एवं मन दोनों को ही प्रभावित करते हैं। अतः यह अवस्था संक्रमण अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। मानसिक स्तर पर वह किसी विशिष्ट समस्या से छुटकारा पाने के लिए सभी काल्पनिक परिस्थितियों के संबंध में तार्किक रूप से सोचने लगता है। बालक अपनी पहचान बनाने का प्रयास करने लगता है। इस प्रक्रिया में वह दूसरों के विचारों तथा सामाजिक दृष्टिकोण को भी समझने लगता है तथा उसके अपने विचार भी बनने लगते है। आपसी सहयोग की भावना बढ़ने लगती है। इसलिए इस आयु में सतर्कता के साथ उसका उचित विकास करना होगा। बालक की रुचि में बार–बार परिवर्तन होता है तथा कभी–कभी वह उनमें विरोधाभास का अनुभव भी करने लगता है।

किशोरावस्था अस्मिता के विकास के लिए महत्वपूर्ण अवस्था है। तीव्र शारीरिक बदलावों का प्रभाव उनके व्यक्तित्व के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर पड़ता है। अधिकतर किशोर इन परिवर्तनों का सामना बिना पूर्ण ज्ञान एवं समझ के करते हैं जो उन्हें खतरनाक स्थितियों जैसे – यौन रोगों, यौन दुर्व्यवहार, एड्स एवं नशीली दवाओं के सेवन का शिकार बना सकती हैं।

यह वह समय होता है जब आत्मसात किए गए तमाम मानकों और विचारों पर सवाल खड़े होते हैं। दोस्तों के मत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस अवस्था में माता–पिता, शिक्षकों को सजग–सतर्क रहना होगा। उनसे मित्रता का व्यवहार कर भावनात्मक सहारा देना होगा। उनमें निहित असीमित ऊर्जा को सही दिशा देना, सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ना पाठ्यचर्या का उद्देश्य है।

स्वस्थ शारीरिक मनो–सामाजिक विकास के लिए खेलों और योग से विद्यार्थियों को जोड़ना, उनमें इन खेलों और योग की गतिविधियों से बेहतर स्वास्थ्य, समन्वय, संयम, नियंत्रण की क्षमताओं को विकसित करना होगा।

7.2 बच्चे और सीखना

बच्चों में सीखने की स्वाभाविक प्रकृति होती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा – 2005 में बच्चे की सक्रिय भूमिका के बारे में कहा गया है कि बच्चे व्यक्तिगत रूप से और दूसरों के साथ मिलकर, दोनों ही रूपों में अनेक तरीकों से सीखते हैं – अनुभव के जरिए, कुछ बनाते और करते हुए, प्रयोग करते, पढ़ते, बहस करते, पूछते, सुनते, सोचते और जवाब देते हुए तथा खुद को वाणी, गतिविधि तथा लेखन के जरिए अभिव्यक्त करते हुए।

बच्चे बड़ों या अपने शिक्षकों के सहयोग से अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। इस हेतु वे अपने परिवेश से निरंतर अंतःक्रिया कर सीखते हैं। वे अपने अनुभवों के आधार पर अपनी समझ का निर्माण एवं विकास करते हैं। अतः हमें बच्चे को हर समस्या/काम को अपने ढंग से सुलझाने के अवसर देने होंगे। उनकी अवधारणात्मक समझ को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना होगा। बच्चों की क्षमताओं को विकसित करने में मदद करनी होगी।

कुछ सवाल जिनके जवाब खुद से पूछने होंगे –

- सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते, क्या हम इस विविधता को समस्या के बजाए शक्ति के रूप में स्वीकार कर सकते हैं?
- क्या हम इस बुनियादी शिक्षा शास्त्र पर विश्वास रखते हैं कि बच्चे अलग–अलग तरीकों से सीखते हैं?
- क्या हम विश्वास करते है कि बच्चों के अनुभव अलग–अलग होते हैं। उनकी सीखने की गतियाँ भी अलग–अलग होती हैं।

8. क्रियान्वयन का ढाँचा –

सीखना बच्चे का प्राकृतिक अधिकार है, इसमें उसका वातावरण तथा उसके अपने अनुभव मदद करते हैं। पाठ्यचर्या के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन सभी माध्यमों का योगदान महत्वपूर्ण है जो बच्चों को वातावरण व अनुभव देने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। इस कार्य में विद्यालय, परिवार, समाज, शैक्षिक प्रशासक तथा उनसे जुड़े संस्थानों की भूमिका उल्लेखनीय है।

1. हमारे विद्यालय

प्रत्येक समाज वाँछनीयता और अवाँछनीयता के बीच विभेद करता है। इस प्रकार समाज की इन अवधारणाओं से एक मूल्यतंत्र निर्मित होता है। समाज के सदस्य जिन मूल्यों को सामान्य रूप से मानते हैं, उन्हें सांस्कृतिक–मूल्य कहा जा सकता है। इस प्रकार प्रत्येक संस्कृति के अपने मूल्य तथा मूल्यतंत्र बनते हैं। अंततः किसी समाज में जो कुछ वाँछनीय माना जाता है, वही शिक्षा में और संस्कृति के सभी पक्षों में समाज की अपेक्षाओं का मानदंड बन जाता है।

विद्यालय की भूमिका यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण ढंग से सामने आती है। विद्यालय नई पीढ़ी को सोच समझकर तैयार किया हुआ ऐसा परिवेश प्रदान करता है जिसमें वह समाज के सांस्कृतिक–मूल्यों को आत्मसात कर सके और इन मूल्यों के संदर्भ में वाँछनीय माने जाने वाले ज्ञान और कौशलों को अर्जित कर सके। इससे यह धारणा स्पष्ट होती है कि विद्यालय के उद्देश्य मोटे तौर पर समाज के द्वारा निश्चित किए जाते हैं। यह बात इस तथ्य के आधार पर भी समझी जा सकती है कि विद्यालय सामाजिक–व्यवस्था की एक ऐसी उप–व्यवस्था है जो सामाजिक–उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भी कार्य करती है।

विद्यालय को चाहिए कि एक बच्चे के समक्ष अधिगम और भागीदारी संबंधी जो भी बाधाएँ आयें, उन सबको दूर करे। बच्चों की सामाजिक, आर्थिक–दशाएँ और शारीरिक– स्थितियाँ चाहें जैसे भी हों, विद्यालय को चाहिए कि इन सभी बच्चों में सीखने की क्षमता को बढ़ावा दे।

विद्यालय विभिन्नताओं का स्वागत करे और कक्षा में अधिगम के लिए संसाधन के रूप में उनका उपयोग करे। पाठ्यचर्या का मानना है कि अधिगम कार्य कक्षाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए, उसे आगे बढ़कर समुदाय तक पहुँचना चाहिए और बच्चों की शिक्षा के लिए समुदाय के संसाधनों का उपयोग भी करना चाहिए। सीखने की क्षमता देने वाला वातावरण वह होता है, जहाँ बच्चे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते

हैं, जहाँ भय का स्थान नहीं होता। शिक्षकों को अपने स्कूलों को, अपनी कक्षाओं को ऐसी जगह बना देनी चाहिए, जहाँ बच्चे खुलकर प्रश्न पूछ पायें, अपने शिक्षकों और सहपाठियों के साथ संवाद कर पायें और बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी कर पायें। इस तरह का वातावरण हर उम्र के विद्यार्थी में **आत्मबल** और आत्मविश्वास का विकास करेगा। इससे आगे चलकर सीखने की गुणवत्ता में भी वृद्धि होगी।

8.2 शिक्षक और विद्यालय

शिक्षक, अध्ययन–अध्यापन की परिस्थितियों को उत्साहवर्धक और मानवीय बनायें ताकि प्रत्येक विद्यार्थी को अपने शारीरिक और बौद्धिक संभावनाओं के पूर्ण विकास के अवसर मिलें। शिक्षक को एक ऐसे समूह का हिस्सा बनना होगा जो लगातार सामाजिक और विद्यार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सजगता के साथ अध्यापन कार्य कर सकें। शिक्षक को कक्षा अभ्यासों में बच्चों की साझेदारी को बढ़ावा देने वाला होना होगा जिससे बच्चे ज्ञान–निर्माण की प्रक्रिया में सक्षम हो सकें। छत्तीसगढ़ में शिक्षक–बालक–अनुपात के संदर्भ में सामान्य तौर पर निर्धारित मानदंड एक शिक्षक के पीछे 25 विद्यार्थियों का है। **(स्त्रोत – प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष – 2011–12 स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन)** व्यवहार में विद्यार्थियों का अनुपात अक्सर अधिक हो जाता है क्योंकि प्रदेश के अधिकांश बच्चों की पहुँच स्कूलों तक है। अतः यह भी हो सकता है कि कक्षा में विभिन्न आयु वर्गों के बच्चे मौजूद हों। तब विद्यालय एवं शिक्षक मिलकर समावेशन की अपनी योजना, समावेशी शिक्षण पद्धति का विकास कर सकते हैं। जो बच्चों के साथ–साथ पूरी विद्यालयीन व्यवस्था के लिए लाभदायक हों। शिक्षक के साथ–साथ संपूर्ण विद्यालयीन व्यवस्था का यह विश्वास हो कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। बच्चों को उपेक्षित न किया जाये न ही समझा जाये।

बच्चे अनुकरण से भी सीखते हैं। विशेषतया व्यवहार, अनुशासन, नैतिकता, आचरण, सभ्यता आदि बातें वे शिक्षकों बड़ों के अनुकरण से ही सीखते हैं। इसलिए इन बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखना होगा।

8.3 शिक्षाक्रम की संरचना : छत्तीसगढ़ में संपूर्ण प्रारंभिक शिक्षा योजना दो भागों में विभाजित है। प्रथम–प्राथमिक स्तर तथा द्वितीय–उच्च प्राथमिक स्तर।

अ. प्राथमिक स्तर में प्रथम भाग कक्षा पहली व दूसरी में शिक्षार्थी को अनौपचारिक शिक्षा से औपचारिक शिक्षा की ओर ले जाने की शिक्षा–योजना है। कक्षा पहली व दूसरी में भाषा, गणित तथा परिवेश का परिचय विषय अध्यापन के द्वारा दिया जाता

है। कक्षा तीन से पाँच औपचारिक शिक्षा का आरंभिक चरण है, जहाँ शिक्षार्थी में आधारभूत कौशलों का विकास किया जाता है।

ब. उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 में भाषा, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान तथा परिवेशीय दक्षताओं के विकास को स्थायी आधार देने का प्रयास किया जाता है। इस स्तर पर सामान्य शिक्षा के लिए शिक्षार्थी की पूर्ण तैयारी होती है।

औपचारिक शिक्षा आरंभ होने के पूर्व शिक्षार्थी के शाला प्रवेश की तैयारी के रूप में पूरे प्रदेश में आँगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन की व्यवस्था महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा की जाती है।

वर्तमान में भी प्राथमिक स्तर को दो भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम भाग में कक्षा पहली और दूसरी की शिक्षा दी जाएगी। यहाँ विद्यार्थी को औपचारिक शिक्षण से परिचित कराया जाएगा।

दूसरे भाग में कक्षा तीसरी से पाँचवी का अध्ययन रखा गया है। इस स्तर पर विद्यार्थी व्यवस्थित तरीके से ज्ञानार्जन करना सीखेंगे। प्राथमिक स्तर पर अध्ययन की विषय संरचना इस प्रकार है –

- कक्षा पहली व दूसरी – भाषा, गणित, सह शैक्षिक क्रियाएँ, कार्यानुभव। उपरोक्त विषयों में पर्यावरणीय शिक्षा भी सम्मिलित है।
- कक्षा तीसरी से पाँचवी – भाषा, गणित, पर्यावरण–अध्ययन, सह शैक्षिक क्रियाएँ, कार्यानुभव।
- उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सह शैक्षिक क्रियाएँ, कार्यानुभव सम्मिलित करने की योजना है।

विषयों के साथ–साथ बच्चों में उत्सवों, पारंपरिक वेश–भूषाओं, लोक–संस्कृति, स्थानीय–संस्कृति आदि के प्रति गर्व एवं आदर की भावना विकसित करनी होगी। प्राचीन–काल तथा वर्तमान–समय के रहन–सहन, समुदाय, देश–प्रदेश के सुप्रसिद्ध व्यक्तियों जिनका लोक–जीवन के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसे भी शामिल किया जाना पाठ्यचर्या का प्रमुख सरोकार होगा।

शिक्षण का लक्ष्य–विद्यार्थियों में आलोचनात्मक समझ का विकास करना होगा ताकि वे उन सामाजिक–शक्तियों से सावधान रह सकें जो सार्वजनिक हितों को खतरा पहुँचाती हैं।

'शिक्षा बिना बोझ के (1993)' की अनुशंसाओं को फिर से रेखांकित कर इस बात पर जोर दिया जाना होगा कि बच्चों में शिक्षण का उद्देश्य, अवधारणाओं की समझ और सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक यथार्थ के विश्लेषण की क्षमता का विकास हो न कि केवल बिना व्याख्या के तथ्यों को रटने पर बल हो।

8.4 कार्य अनुभव (कार्य और शिक्षा)

शिक्षा–व्यवस्था के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम शिक्षा–व्यवस्था में ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करें कि विद्यालय का ज्ञान, परिवेश में जाकर हुनर/कौशल का रूप ले सके। स्कूली ज्ञान और काम के बीच एक रिश्ता कायम हो। इसके लिए प्राथमिक स्तर पर ही बच्चों को उत्प्रेरित करना होगा कि वे अपना लक्ष्य निर्धारित करें। बच्चों को भविष्य के लिए सपने बुनने और उन्हें साकार करने, श्रेष्ठ बनने हेतु प्रेरित करना होगा। महात्मा गाँधी, स्वामी विवेकानन्द के साथ अन्य शिक्षाविदों का शैक्षिक–दर्शन, शिक्षा–प्रणाली में कठिन परिश्रम और काम के साथ सीखने की संस्कृति का विकास करना पाठ्यचर्या का प्रमुख सरोकार है। इससे ज्ञानार्जन और उत्पादन साथ–साथ जुड़ेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे इतने परिपक्व हो जाते हैं कि कुछ कौशलयुक्त कार्य गंभीरतापूर्वक कर सकते हैं, जैसे –

1. सामुदायिक–स्वास्थ्य एवं स्वच्छता।
2. परिवारिक सदस्य के रूप में घरेलू कार्य।
3. कक्षा और विद्यालय में किए जाने वाले विभिन्न क्रिया–कलाप।
4. समुदाय के कार्य जो निःस्वार्थ सेवा पर केन्द्रित हों।
5. व्यावसायिक–विकास, उत्पादन, सामाजिक–उपयोगिता से जुड़े कार्य।

बच्चों की आयु व योग्यता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया उपयोगी काम उनके लिए मूल्यों, बुनियादी वैज्ञानिक अवधारणाओं, कौशलों और रचनात्मक अभिव्यक्ति के कारक के रूप में काम करता है। बच्चे काम के द्वारा अपनी एक पहचान बनाते हैं और स्वयं को उपयोगी और महत्वपूर्ण समझते हैं। इसके माध्यम से वे समाज का हिस्सा बनते हैं और ज्ञान के निर्माण में सक्षम हो पाते हैं।

8.5 कला, शिल्प और संस्कृति

- प्रदेश कला और शिल्प के संदर्भ में अत्यन्त समृद्ध है। लोकगीत, लोकनृत्य, लोकनाट्य, चित्रकला, मूर्तिकला, काष्ठकला, हस्तशिल्प, धातुशिल्प, रंगमंच, प्रदेश की समृद्ध परंपराएँ हैं, विरासत हैं। विरासत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को शिक्षा में विविध उपायों से

शामिल करना होगा जिससे ये जीवंत कलाएँ हमेशा हमारी संस्कृति की अभिन्न अंग बनी रहें।

- इनका उपयोग शिक्षण, प्रशिक्षण, अधिगम प्रक्रियाओं को आनंददायी बनाने में एवं बच्चों में विकसित किए जाने वाले हुनर के रूप में करना होगा। इससे बच्चे अधिक सृजनात्मक बनेंगे। इन कार्यों को सम्पन्न करने के लिए स्थानीय कलाकारों और शिल्पकारों को भी विद्यालय से जोड़ना होगा।

इनके साथ कला की अन्य विधाओं जैसे– संगीत, नृत्य, चित्रकला, मूर्तिकला से उन्हें परिचित कराया जाना होगा।

8.6 व्यावसायिक शिक्षा

कार्य आधारित शिक्षा को स्कूली पाठ्यचर्या में पूर्व प्राथमिक से बारहवीं कक्षा तक समावेशित करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा पर भी पुनर्विचार करना होगा। व्यावसायिक शिक्षा को इतना सक्षम बनाना होगा कि वह बदलती हुई अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का सामना कर सके। इसके लिए चरणबद्ध प्रयास कर एक मिशन के रूप में व्यावसायिक–शिक्षा को लागू करना होगा।

व्यावसायिक–शिक्षा के वर्तमान पाठ्यक्रम को प्रासंगिक पाठ्यक्रम बनाना होगा जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी स्थान पा सकें। 'कैरियर गाइडेंस' हेतु मनोविज्ञान और परामर्श का प्रावधान भी करना होगा। व्यावसायिक–शिक्षा के पाठ्यक्रम की समय–समय पर समीक्षा की जानी होगी और बदलाव भी ताकि वह पेशे और जीविका के लिहाज से स्थानीय लोगों के लिए समयानुकूल हो। यह शिक्षा की मुख्यधारा के समकक्ष हो।

8.7 शान्ति के लिए शिक्षा

शांति शब्द का संकुचित अर्थ कुछ इस तरह लगाया जाता है – ''युद्ध या टकराव की अनुपस्थिति ही शांति है'', परंतु समाज में भिन्न–भिन्न तरीके से आपसी टकराव, जीवन–संघर्ष, सामाजिक–गिरावट, असमानता, पलायन, गरीबी, हिंसा–जन्य, व्यवहार जीवन में शांति भंग करते हैं, लोगों में असंतोष और हताशा पैदा करते हैं। यह हताशा व्यक्ति को हिंसा करने के लिए उकसाती है जबकि असंतोष और हताशा की अनुपस्थिति में ही अच्छे जीवन की कल्पना की जा सकती है। शान्ति के लिए शिक्षा का उद्देश्य– बच्चों में संवैधानिक आदर्शों को स्थापित करना है। आपस में एक–दूसरे के साथ मिल–जुल कर रहने और जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार करने की शिक्षा से शांति के लिए शिक्षा को बल मिलता है। स्कूली–शिक्षा के दौरान उपयुक्त गतिविधियों के माध्यम से शांति और अहिंसा के मूल्यों का समर्थन करना होगा। यह शिक्षक प्रशिक्षण का भी आवश्यक अंग

होना चाहिए। शिक्षा बच्चों को शांति की जीवन–शैली के लिए प्रेरित करे। शिक्षक और समुदाय इस ओर सचेत रहें कि किसी भी स्तर पर बच्चों में निराशा, हताशा, असुरक्षा के भाव तो पनप नहीं रहें हैं। उन्हें शांति और अहिंसा के वातावरण निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ना होगा।

8.8 कम्प्यूटर–विज्ञान (सूचना और प्रौद्योगिकी)

कम्प्यूटर–विज्ञान एवं सूचना–प्रौद्योगिकी का आधुनिक समाज पर गहरा प्रभाव है। स्कूली पाठ्यचर्या में इन्हें स्थान दिया जाना आवश्यक है जिससे बच्चे इनसे परिचित होकर इनका प्रयोग सीख सकें।

9. समुदायों से संवाद

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़ की टीम ने समाज के विभिन्न संवर्गों जैसे–शिक्षकों, अभिभावकों और बच्चों से विभिन्न स्थानों पर ''शिक्षा से अपेक्षाएँ एवं सुझाव'' पर संवाद स्थापित किया। इस संवाद के प्रमुख बिन्दु इस प्रकार हैं – प्रदेश में विशेषकर ग्रामीण अंचलों में लोगों के पास कृषि, बागवानी, वनोपज पर आधारित कार्य, शिल्प, लकड़ी के कार्य आदि की जानकारी है। समुदाय का कहना था कि इनके संरक्षण के साथ–साथ इनके विकास के अवसरों की भी जरूरत है। अतः स्कूली शिक्षा में इन्हें स्थान दिया जाना उचित होगा। गाँवों में महिलाएँ पशुओं की देखभाल, घरेलू कार्य, उपज संबंधी कार्य के साथ–साथ कृषि एवं अन्य लघु व्यवसायों में भी सहायता करती हैं। पुरुषों के पास कृषि, भूमि के प्रकार, मिट्टी, बीजों के रख–रखाव, वनोपज, परंपरागत सिंचाई के साधनों और जल–संरक्षण की परम्परागत विधियों का भी ज्ञान है। गाँव में लोगों के पास स्वास्थ्य एवं उपचार संबंधी परंपरागत ज्ञान है एवं स्थानीय पौधों के औषधीय गुणों की पहचान है। इन्हें व्यवस्थित कर इनके संरक्षण की आवश्यकता पर समुदाय ने बल दिया। Chattisgarh human development report-2005 में निहित कथन भी इनका समर्थन करते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार – नवागाँव, बस्तर, कोंडागाँव से प्राप्त रिपोर्ट के कुछ बिन्दु हैं ''जब वहाँ औपचारिक शिक्षा व्यवस्था का प्रचार–प्रसार नहीं हुआ था तब भी लोग यह जानते थे कि घर कहाँ और कैसे बनाएं जाएं। वे छोटे–छोटे समूह बनाकर रहते थे जिससे वे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। तालाबों, चारागाह आदि पर सभी का समान अधिकार था। घरों में सब्जियाँ, फूलों और फलों को उगाने के लिए बाड़ी की प्रथा थी जो आज भी विद्यमान है।''

समुदाय ने इन परंपराओं को आधुनिकता का पुट देकर जीवन्त बनाये रखने की इच्छा जाहिर की। इस संवाद एवं चर्चा के दौरान स्कूलों के विद्यार्थियों ने खास तौर से

बालिकाओं ने आत्मरक्षा के गुर जैसे मार्शल आर्ट सीखने की बात कही। आपके विचार से ''स्कूल कैसा हो'' इस पर बच्चों ने निम्न बातें कही – स्कूल में समयबद्व कार्यक्रम संचालित हों, पढ़ाई नियमित व सुचारू रूप से हो, शिक्षक समय पर कक्षा में आयें और पाठ्यक्रम पूरा करने में जल्दबाजी न करें। स्कूली विषयों पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कुछ बच्चों ने कोरियोग्राफी, फैशन डिजायनिंग जैसे कोर्स विद्यालय में शामिल करने का विचार दिया। समुदाय ने इच्छा जाहिर की कि उनके बच्चों को गणित, अंग्रेजी, कम्प्यूटर शिक्षा में पारंगत किया जाये और उनमें सदाचार, संयम, नशे से दूर रहना, समय का सदुपयोग करना अच्छी आदतें विकसित करने का दायित्व भी विद्यालयों को सौपा।

10. शिक्षक प्रशिक्षण

शाला के वास्तविक कार्य दिवसों में अध्यापन कार्य प्रभावित न हो प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन अवकाश के दिनों में करना उचित होगा। जिससे मल्टीमीडिया के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रमों को गति प्रदान करनी होगी। टेलीकान्फ्रेंसिंग के द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जा सकता है जिससे प्रशिक्षण अपने मूल उद्‌देश्यों के अनुरूप संचालित हो सके। इसके अतिरिक्त कम्प्यूटर, शैक्षिक–सीडी कैसेट्स इत्यादि भी प्रशिक्षण केन्द्रों को उपलब्ध करायें जाने होंगे।

शालाओं में प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या में वृद्धि हो इसके लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा–परिषद् के मानदंडों के आधार पर प्रशिक्षण संस्थाओं में सीट्स की संख्या में वृद्धि करनी होगी तथा पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा भी प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए इनका आवश्यकता आधारित होना, उपयुक्त प्रशिक्षण योजना, सही क्रियान्वयन एवं समय की पाबंदी पर विशेष ध्यान देना होगा।

भ्रम जो तोड़ने होंगे –

- पाठ्य पुस्तक अंतिम है।
- जो कुछ लिखा गया है वही ज्ञान है, जो मौखिक है वह नहीं।
- बच्चे जब स्कूल में प्रवेश लेते हैं तब कुछ नहीं जानते।
- ज्ञान स्कूल में ही प्राप्त किया जा सकता है।
- पाठ्यक्रम पूरा करना ही शिक्षक का दायित्व है।

11. स्कूल व नवीन साझेदारियाँ

स्कूल व्यवस्था और समुदाय के बीच सहभागिता हो जिसमें गैर सरकारी संगठन, शिक्षक संगठन भी शमिल हों। वे सभी संगठन व विभाग जो बच्चों के विकास

और कल्याण में रूचि रखते हैं, जैसे – पंचायतीराज–संस्थाएँ, नगरीय निकाय, महिला और बाल–विकास विभाग, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, संस्कृति–विभाग, विज्ञान एवं तकनीकी–विभाग,स्वयंसेवी सेवाभावी निजी संस्थाएं, संस्कार प्रदायक संगठन, कौशल–संवर्धन करने वाले संस्थान आदि के सहयोग से विद्यालयीन शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि की जा सकती है।

12. शैक्षिक प्रशासन का ढाँचा

प्रदेश में शैक्षिक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक उत्तरदायित्वों का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है –

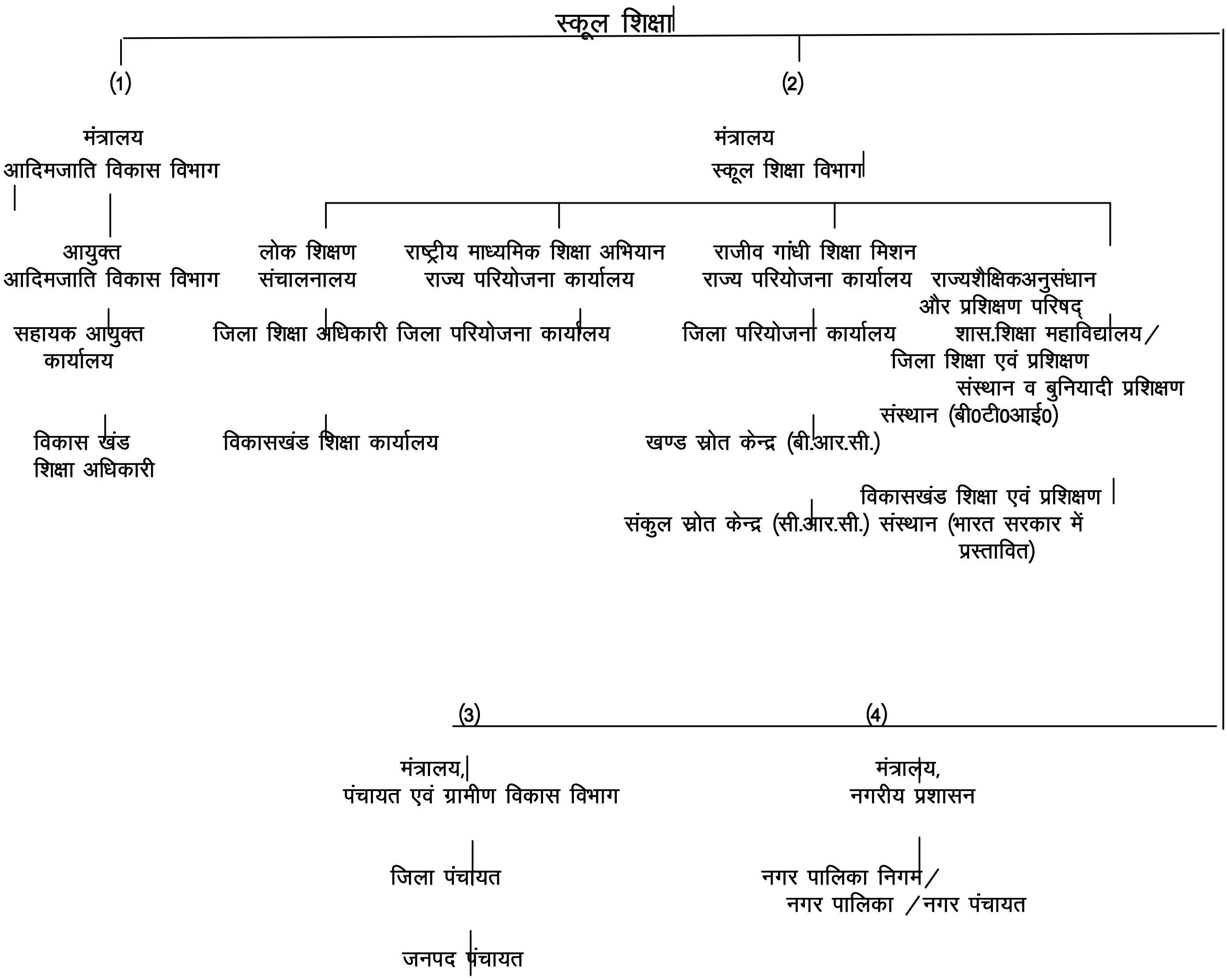

12. शैक्षिक संस्थानों की भूमिका –

12.1 शैक्षिक संस्थाओं की भूमिका

छत्तीसगढ़ के शैक्षिक प्रशासन की संरचना के अनुरूप उनकी विभिन्न इकाईयों की भूमिका अलग–अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। संलग्न संस्थान निम्नानुसार हैं –

12.2 लोक शिक्षण संचालनालय

संपूर्ण प्रदेश में स्कूली शिक्षा का प्रबंधन, संचालन, नियंत्रण, विकास, भौतिक तथा वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था, शिक्षकों की व्यवस्था, प्रारंभिक विद्यालयों की सतत् मॉनिटरिंग, शैक्षिक विकास की योजनाओं का निर्माण उक्त विभाग द्वारा अधीनस्थ जिला शिक्षा कार्यालयों तथा विकासखण्ड शिक्षा कार्यालयों, पंचायतों, नगर निगमों के माध्यम से किया जाता है।

संपूर्ण प्रदेश में स्कूली शिक्षा का प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रबंधन, संचालन एवं नियंत्रण का दायित्व लोक शिक्षण संचालनालय का होता है। उक्त दायित्वों के तहत् शिक्षा के सुव्यवस्थित एवं समग्र विकास हेतु शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना, भौतिक संसाधनों की व्यवस्था हेतु समयबद्ध प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करना, पर्याप्त संख्या में शैक्षिक प्रशासकों, व्याख्याताओं, शिक्षकों एवं गैर अध्यापकीय अमले की व्यवस्था करनी होती है। सभी स्तर के विद्यालयों की सतत् मॉनीटरिंग, शैक्षिक गुणवत्ता विकास की योजनाओं का निर्माण एवं उसका क्रियाकलाप करना–कराना होता है।

छात्रों के प्रोत्साहन हेतु कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करना जैसे–निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का संचालन, निःशुल्क गणवेश वितरण कार्यक्रम का संचालन कराना, बालिकाओं के लिए सरस्वती साइकिल योजना के अन्तर्गत साइकिल का निःशुल्क वितरण कार्यक्रम का संचालन करना, कंप्यूटर–शिक्षा के लिए आवश्यक सुविधाएँ मुहैया कराना। इन सभी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक वित्तीय व्यवस्था व तत्संबंधी अनुवर्ती कार्यवाहियाँ निर्धारित कर समय–सीमा में सम्पन्न कराना ताकि बच्चों को योजनाओं का समुचित लाभ समय पर प्राप्त हो। ऐसा होने से बच्चों में शिक्षा के प्रति विशेष उत्साह व रूचि जागृत होती है।
स्कूली शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने के लिए जिला स्तर पर जिला पंचायतों एवं नगरीय निकायों के सहयोग से एवं जिला परियोजना समन्वयक के द्वारा कार्य संपादित किये जा रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी एवं डी.पी.सी. के कार्यों में अपेक्षित सहयोग हेतु विकासखंड में विकासखंड शिक्षा अधिकारी बी.आर.सी. एवं सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी और संकुलों में संकुल समन्वयक कार्यरत हैं।

12.3 राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या विकास, पाठ्यक्रम निर्माण तथा उसके अनुरूप पाठ्यपुस्तकों का लेखन एवं निर्माण राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा किया जाता है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक की पुस्तकों में संशोधन, पुनरीक्षण का

कार्य भी परिषद द्वारा किया जाता है। इस स्तर पर नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्यपुस्तकों का लेखन कार्य भी अपेक्षित है। प्रारंभिक विद्यालयों में गुणवत्ता आधारित शिक्षण विधियों के विकास के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, सहायक शिक्षण सामग्री तैयार करना, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की मॉनिटरिंग व मार्गदर्शन करना तथा राज्य की शैक्षिक गतिविधियों को गति देने के लिए समन्वय उपलब्ध कराना इसका महत्वपूर्ण कार्य है। आवश्यकतानुसार शैक्षणिक विकास, शैक्षिक समस्याओं के निराकरण के लिए शोध एवं नवाचार का संचालन भी परिषद द्वारा किया जाता है।

12.4 आदिमजाति एवं अनुसूचित कल्याण विकास विभाग–

दूरस्थ क्षेत्रों व दुर्गम वनांचलों में इस विभाग द्वारा आदिवासी समूह के बच्चों के कल्याण के लिए शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ अन्य सुविधाएँ तथा विकास के साधन सुलभ कराए जाते हैं। आश्रम शालाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को आवास के साथ पोषण–आहार की भी व्यवस्था की जाती है। यहाँ शिक्षा के साथ कार्य दक्षताओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं का संचालन तथा छात्रवृत्ति के वितरण की व्यवस्था भी इस विभाग का दायित्व है।

12.5 राजीव गांधी शिक्षा मिशन

राज्य परियोजना कार्यालय अपने अधीनस्थ इकाईयों के माध्यम से राज्य की शैक्षणिक आवश्यकताओं का पता लगाकर उन स्थानों में शिक्षा–सुविधा सुलभ कराने के लिए उत्तरदायी है। राज्य शासन द्वारा शिक्षा के लोक–व्यापीकरण दिशा में किये जा रहे प्रयासों में राजीव गाँधी शिक्षा मिशन यथोचित सहायता देता है। राजीव गाँधी शिक्षा मिशन, शिक्षा सुविधा मुहैया कराने के साथ–साथ शिक्षक–प्रशिक्षण के द्वारा शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में कार्य करता है। राज्य में बच्चों की दर्ज संख्या के आधार पर अतिरिक्त कक्ष एवं अतिरिक्त शिक्षकों का प्रावधान भी मिशन के तहत् किया जाता है। राज्य में स्थापित विकासखंडों में विकासखंड स्रोत केन्द्र एवं संकुलों में संकुल स्रोत केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इनका भी सुदृढ़ीकरण करना होगा।

12.6 राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमेट) छत्तीसगढ़

शिक्षा के उद्देश्य बहुत व्यापक हैं। अतः हमें योजना बनाने तथा व्यवस्थागत मुद्दों के प्रति ध्यान आकृष्ट करने की आवश्यकता है। इस प्रकोष्ठ के महत्वपूर्ण कार्य हैं–

1. राज्य शैक्षिक प्रशासकों का शैक्षिक नेतृत्व एवं प्रबन्धन में प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण।
2. शैक्षिक संस्थाओं को शैक्षिक योजना निर्माण एवं प्रशासन में मार्गदर्शन।
3. शैक्षिक शोध–कार्य का संवर्धन।

4. शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली का निर्माण।
5. शैक्षिक आवश्यकता के अनुसार लघु एवं दीर्घ अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विकास।
6. शैक्षिक माड्यूल का विकास।
7. विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं से समन्वय।
8. अन्तर विभागीय शैक्षिक संस्थाओं के प्रशासकों से समन्वय।

12.7 आंग्ल भाषा संस्थान (ई.एल.टी.आई.) छत्तीसगढ़

वर्तमान में भाषा के शिक्षण पर अधिक जोर दिए जाने की आवश्यकता है, ताकि बच्चे में दो तरफा संप्रेषण क्षमता का विकास हो सके। इस हेतु घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय भाषा के बीच एक पुल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान छत्तीसगढ़ इसी दिशा में कार्यरत है। प्रकोष्ठ अंग्रेजी भाषा शिक्षण में गुणवत्ता हेतु निम्न बिंदुओं पर भी सजग है –

1. प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी के शिक्षकों, व्याख्याताओं हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
2. शैक्षिक संस्थानों के अंग्रेजी भाषा–शिक्षण की गुणवत्ता सुधार हेतु कार्य करना।
3. प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु जिला स्रोत व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना।
4. अंग्रेजी शिक्षण में नवाचार, शोध हेतु समय–समय पर सेमीनार आयोजित करना।
5. पाठ्यपुस्तकें और कक्षा 01 से 08 वीं तक सहायक सामग्री का निर्माण करना।
6. प्रशिक्षण के द्वारा शिक्षकों में अध्यापन–कौशल का विकास, मूल्यांकन क्षमता, मानसिक दबाव से मुक्त कक्षा के वातावरण के निर्माण के कौशल विकास हेतु अनेक तकनीकों के उपयोग संबंधी बिंदुओं पर ध्यानाकर्षण करना।

13. मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन

शैक्षिक क्रियाकलापों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा विभिन्न संस्थानों के कार्यो की मॉनिटरिंग तथा मूल्यांकन आवश्यक है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाने की दिशा में तथा अकादमिक सहयोग प्रदान करने की दिशा में सहायक होगा। मॉनिटरिंग के द्वारा संस्थाओं की बुनियादी संरचना, भौतिक और मानवीय संसाधनों की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त कर उन्हें सुदृढ़ बनाना होगा। साथ ही उनकी नियमित गतिविधियों की जानकारी तथा उपलब्धि की गुणवत्ता के आधार पर उन्हें सुधारात्मक तथा उपचारात्मक निर्देशन दिया जाना भी संभव हो सकेगा।

संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया की समीक्षा हेतु सभी क्षेत्रों में लघु शोध कार्य, नवाचार और क्रियात्मक अनुसंधान किए जाने होंगे।